



एक ही परिवार - एक ही भविष्य
ONE BIRTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 31 वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 को मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरादेवी पर्यावरण भवन, में अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्री एस0 पी0 सुबुद्धि, निदेशक, राज्य पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय।
2. श्री एस0के0 पटनायक, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
3. श्री मनोज गोयल, नगर आयुक्त, देहरादून।
4. विवके राय, नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर।
5. श्री एन0के0 जोशी, अपर सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।
6. श्री एम0एम0 चौहान, संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड।
7. श्री खजान सिंह, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
8. श्री जी0पी0 सिंह, महाप्रबन्धक, पेयजल निगम।
9. श्री एस0एस0 रावत, अधिशासी अभियन्ता, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण।
10. डा0 विजय श्रीधर, एसिसटेन्ट प्रोफेसर, कुलपति, दून विश्वविद्यालय।
11. डा0 गार्गी सिंह, प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग, आई.आई.टी., रुड़की।
12. डा0 अविनाश खन्ना, नगर निगम, देहरादून।
13. डा0 नरेन्द्र के0 पंत, सलाहकार, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
14. श्री सुशील भट्ट, सहायक अभियन्ता, सिडकूल, देहरादून।
15. श्री अशोक बन्सल, प्रैसिडेन्ट, के0जी0सी0सी0आई0, (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से)।

अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सभी मान्य सदस्यों का स्वागत करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्य सूची के बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

कार्य सूची सं०	एजेन्डा बिन्दु	निर्णय
31.1	30वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन व 30वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या में बोर्ड को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड की 30वीं बैठक का कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया एवं निम्न निर्देश निर्गत किये गये। 1. ऐसे Induction Furnaces जिनके द्वारा Side Hood Draft Technology नहीं लगायी गई है उनके द्वारा दिनांक 31.08.2023 तक भी अनुपालन न किया जाये तो उनके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करते हुए अग्रेतर बन्दी आदेश निर्गत किया जाये। 2. ऐसे ईट भट्टों जिनके द्वारा Induced Draft (Zig Zag Brick Setting) के साथ Rectangular Kiln में परिवर्तित नहीं किया गया है उनको तत्काल नोटिस जारी किया जाये तथा इन ईट भट्टों द्वारा अनुपालन न करने की दशा में आगामी सत्र में संचालन की अनुमति न दी जाये व भट्टों के विरुद्ध विधि स्वरूप कार्यवाही की जाये।
31.2	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट का अनुमोदन किया गया। निर्देशित किया गया कि बजट का Expenditure Plan भी तैयार कर एक माह में अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जाये।

1777/2023		
31777/2023	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सेवाविनियमावली के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्तुत समूह 'क', 'ख' एवं समूह 'ग', 'घ' हेतु सेवाविनियमावली का अनुमोदन किया गया व निर्देश दिये गए कि उक्त नियमावली शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जाये।
31.4	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विभिन्न स्तरों पर प्रस्तावित वित्तीय शक्तियों के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव का पुनः विस्तृत परीक्षण करते हुए बोर्ड अध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जाये।
31.5	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सफेद श्रेणी के उद्योगों को स्थापनार्थ सहमति प्राप्त करने की बाध्यता से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
31.6	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बिना स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति के संचालित उद्योगों पर कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में।	इस प्रस्ताव पर के०जी०सी०सी०आई० के अध्यक्ष द्वारा असहमति व्यक्त की गई व पूर्व में प्रचलित व्यवस्था को ही यथावत रखने पर मत प्रकट किया गया। बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि O.A. No. 593/2017 – पर्यावरण सुरक्षा समिति व केन्द्र सरकार व अन्य के प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2018 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी Report on Methodology for assessing Environmental Compensation के अनुपालन में नई व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि के०जी०सी०सी०आई० व अन्य औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि द्वारा सदस्य सचिव के सम्मुख इस विषय में अपने-अपने प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जाये तथा सदस्य सचिव द्वारा पुनः विशलेषण/परीक्षण कर विशेष रूप से विधि तौर पर परीक्षण कर सुस्पष्ट प्रस्ताव पुनः बोर्ड के समक्ष लाया जाये।

अन्त में सभी मान्य सदस्यों के धन्यावाद के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

Signed by S K Pattnaik

Date: 14-08-2023 12:09:46

(एस०के० पटनायक)

सदस्य सचिव

अनुमोदित

Signed by Ramesh Kumar

Sudhanshu

Date: 14-08-2023 10:54:55

(आर०के० सुधाशु)

अध्यक्ष

यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा०-०६(३१वीं बोर्ड बैठक)/२०२३/

दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास, उत्तराखण्ड शासन, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा, उत्तराखण्ड शासन, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, गौरा देवी पर्यावरण भवन, देहरादून।
7. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, नियर आई०एस०बी०टी०, देहरादून।

3

3

8. उपाध्यक्ष, झील विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
9. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, न्यू रोड़, नियर दून हॉस्पिटल, देहरादून।
10. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।
11. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।
12. अध्यक्ष, कुमाऊँ गढ़वाल ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज़, इण्डस्ट्रीयल हाउस, बाजपुर रोड़, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।
13. निदेशक, आई0आई0टी0, रूड़की, हरिद्वार हाईवे, रूड़की, हरिद्वार।
14. कुलपति, दून विश्वविद्यालय, केदारपुर, देहरादून।
15. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, 29, आई0आई0ई0 (आई0टी0 पार्क), सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
16. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, 11, मोहिनी रोड़, देहरादून।
17. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

सदस्य सचिव